"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 मार्च 2015— फाल्गुन 27, शक 1936

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–9/2003/12.— खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 23सी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(ङ–1) "एण्ड यूज प्लांट (End use plant)" से अभिप्रेत है, ऐसा संयंत्र जहां खनिज का अंतिम रूप से उपयोग किया जायेगा।"

2. नियम 4 के उप–नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(5) (एक) ऐसे प्रत्येक धात्विक अयस्कों (metalic ores) की खानों, जिनमें खनिज पर रायल्टी, अयस्क के धात्विक तत्व (मेटल कन्टेंट) और बैंच मार्क कीमतों के आधार पर, [यथा मूल्य आधार पर (ad valorem basis)] निर्धारित है, में पट्टाधारी, उत्पादित खनिज के प्रेषण के पूर्व भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, नमूनीकरण करेगा।

(दो) खनिपट्टाधारी, खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर ही इन नमूनों के विश्लेषण के लिये भारतीय मानक ब्यूरों के मानक अनुसार, प्रयोगशाला स्थापित करेगा एवं नमूनों का रासायनिक विश्लेषण करेगा। विशेष

परिस्थितियों में, संचालक से छूट प्राप्त करने के पश्चात्, प्रयोगशाला खनिपट्टा क्षेत्र के बाहर स्थापित की जा सकेगी।

(तीन) खनिपट्टाधारी, खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 45 (यथा संशोधित) के अनुसार, विहित प्रारूप में, मासिक एवं वार्षिक विवरणियां, यथा समय, विर्निदिष्ट विभागों/संस्थाओं के अलावा संचालक एवं संबंधित जिले के कलेक्टर को भी प्रस्तुत करेगा।

(चार) राज्य में संचालित धात्विक (मेटेलिक) अयस्क के सभी खनिपट्टों, जिनमें रायल्टी, खनिज अयस्क के धात्विक तत्व (मेटल कन्टेंट) और बेन्चमार्क कीमतों के आधार पर प्रभारित किये जाने का प्रावधान है, में वर्ष में कम से कम एक बार संचालक द्वारा गठित समिति द्वारा (सेम्पलिंग) नमूनीकरण एवं उसका विश्लेषण (एनॉलिसिस) करने के पश्चात् अयस्क के ग्रेड (मेटल कन्टेन्ट) की जानकारी एकत्र कराया जायेगा।

(पांच) यदि किसी विशेष कारण से, खनिपट्टाधारी, खनिपट्टा क्षेत्र से निकास किये जाने वाले खनिज अयस्क का नमूनीकरण कराने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसे, इसके लिये संचालक को, कारण एवं औचित्य दर्शाते हुए, आवेदन प्रस्तुत करना होगा। संचालक, यदि खनिपट्टाधारी द्वारा बताए गए कारण से सन्तुष्ट होता है, तो वह खनिपट्टा क्षेत्र से खनिज का बिना नमूनीकरण कराए, निकास की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर सकेगा कि खनिपट्टाधारी, उसके (खनिपट्टाधारी) द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना (मायनिंग प्लान) में उल्लेखित खनिज अयस्क के, अथवा संचालनालय द्वारा कराये गये पूर्व के नमूनीकरण से प्राप्त, ग्रेड (मेटल कन्टेन्ट), इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर तत्समय प्रचलित दर से रायल्टी का भुगतान शासन को करेगाः

परन्तु यह कि लौह अयस्क के मामले में, पट्टाधारी को, छत्तीसगढ़ राज्य के लिये उच्चतम ग्रेड स्लैब हेतु विनिर्दिष्ट रायल्टी भुगतान करने की शर्त पर ही, ऐसी कोई छूट दी जा सकेगी।"

3. नियम 4 के उप–नियम (6) के खण्ड (दो), (तीन) एवं (चार) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(दो) ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी, जो कि रेल मार्ग से लाये गये खनिज का रेलवे साईडिंग से किसी एन्ड यूज प्लांट अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रोसेसिंग संयंत्र/भंडारण स्थल तक परिवहन करना चाहते हैं तो वे विहित प्ररूप–11 में अपेक्षित जानकारी के साथ आवेदन, संबंधित जिले के खनि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(तीन) जिला खनि कार्यालय द्वारा प्ररूप–11 में प्राप्त जानकारी का विवरण, प्ररूप–12 के अनुसार पंजी में संधारित किया जायेगा। तदुपरान्त, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लिखित खनिज मात्रा के अनुसार समतुल्य मात्रा के परिवहन हेतु, प्ररूप–13 में स्थानीय अभिवहन पास जारी किया जायेगा।

(चार) आवेदक, उपयोग में लाये गये तथा शेष अप्रयुक्त स्थानीय अभिवहन पास का विवरण, रेल प्राप्तियों (रेलवे रिसीप्ट) के साथ प्ररूप–14 में प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अधिकारी, जिला खनि कार्यालय, स्थानीय अभिवहन पास हेतु आगामी आवेदन के निराकरण के समय प्ररूप–13 में पूर्व में जारी स्थानीय अभिवहन पास की मात्रा का मिलान, प्रस्तुत आर. आर. से करने पर, यदि सही पाया जाता है, तो नवीन आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, नवीन स्थानीय अभिवहन पास जारी करेंगे।"

4. नियम 11 में, शब्द "जमा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा" के पश्चात्, शब्द "यदि उपर्युक्त उल्लिखित उप–नियम के अधीन किया गया कोई निक्षेप, किन्हीं नियमों के अधीन समपहृत नही किया गया है, तो उसे अनावेदक को, सभी शर्तो का समग्र पालन सुनिश्चित होने के पश्चात्, वापस किया जायेगा" अन्तःस्थापित किया जाये।

5. नियम 12 में, शब्द "तीन" के स्थान पर, शब्द "दस" प्रतिस्थापित किया जाये।

6. नियम 14 के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(दो—क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, प्ररूप—15 में भण्डारण तथा प्रसंस्करण से संबंधित मासिक विवरणी, आगामी माह की 05 तारीख तक जिला खनि कार्यालय को भेजना आवश्यक होगा।"

7. नियम 16 के उप—नियम (1) को विलोपित किया जाये।

8. नियम 16 के उप—नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"किसी भी कोयला खनिपट्टा क्षेत्र की सीमा से 25 कि.मी. की परिधि के भीतर खनिज कोयले के भण्डारण हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त निर्बंधन, वाशरी एवं एण्ड यूज प्लांट के संबंध में लागू नहीं होंगे।"

9. अध्याय—चार के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"अध्याय—चार क

अपील तथा पुनरीक्षण

17क. **अपील या पुनरीक्षण.**— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अधीन किसी विषय के संबंध में पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 (यथा संशोधित) के अध्याय—चौदह के प्रावधानों के अनुसार होगा।"

10. प्ररूप—1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"प्ररूप— 1

(नियम 4 (1) देखिये)

खनिज अभिवहन पास

(खनिज रियायत धारकों के लिए)

पुस्तक कमांक. .... पास कमांक. ....

टीपः प्ररूप भरने के पूर्व, पीछे अंकित अभियुक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1. अनुज्ञप्ति / पटटेधारी का नाम : ....
अनुज्ञप्ति / खान क्षेत्र का विवरण : ....
ग्राम म / तहसील / जिला : ....
रकबा : ....(हेक्टेयर)
अवधि : ...... / .... / .... से .... / .... / ....
खनिज का नाम : ....

2. परिवहन किये जा रहे खनिज की श्रेणी : ....
साईज (लम्प / फाईन्स / स्टीम / स्लैक / अन्य) : ....

3. परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा : ....(टन / घन मीटर)
वाहन का ग्रॉस वेट (टन में) : ....
वाहन का टेयर वेट (टन में) : ....

4. खनिज का विक्रय मूल्य : ....(रूपये प्रति टन / घन मीटर)

5. खनिज प्रेषण का दिनांक : ....
खनिज प्रेषण का समय (A.M / P.M) : ....

6. वाहन पंजीयन क्रमांक : ....
वाहन का प्रकार (ट्रेलर / हाईवा / ट्रक / ट्रेक्टर / अन्य)..

7. वाहन स्वामी का नाम : ....
वाहन चालक का नाम : ....

8. खनिज क्रेता / प्राप्तकर्ता का नाम : ....
डी.ओ. क्रमांक / दिनांक (यदि लागू हो।): ....

9. खनिज गंतव्य स्थल : ....व्हाया
1 ....2..3...................................

10 अन्य विवरण : ....

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम	वाहन चालक का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित	जांचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित

अभियुक्तियां:—

1. समस्त प्रविष्टियां, किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना, केवल बाल प्वाइंट पेन से भरा जाना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होना चाहिये।
2. अभिवहन पास के द्वितीय प्रति हेतु, दोनों तरफ कार्बन पेपर का उपयोग किया जाना चाहिये।
3. उपरोक्त उल्लिखित अनुसार आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात्, द्वितीय प्रति, वाहन के चालक को दी जाये एवं मूल प्रति, अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जाये।
4. खण्ड 9 के अंतर्गत व्हाया के संबंध में, खान से गंतव्य स्थल तक निर्धारित परिवहन मार्ग में वर्तमान में स्थित तीन प्रमुख स्थानों के नाम का उल्लेख किया जाये।
5. उपरोक्त किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का, अवैध खनिज परिवहन के रूप में अर्थ लगाया जायेगा तथा दण्डनीय होगा।"

11. प्ररूप—2 (क) को विलोपित किया जाये।

12. प्ररूप—2 (ख) को विलोपित किया जाये।

13. प्ररूप–11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"प्ररूप–11

[नियम 4 (6) (2) देखिये]

रेल्वे साइडिंग से खनिज परिवहन हेतु स्थानीय अभिवहन पास प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र

1. (एक) आवेदक का नाम : ....
   पदनाम (कंपनी या फर्म के मामले में) : ....
   (दो) मोबाईल नबंर : ....

2. खनिज का नाम : ....

3. रेलवे से परिवहन कर लाये जाने वाले खनिज की मात्रा : ....(टन / घन मीटर)

4. रेलवे साईडिंग का नाम : ....
   (जहां से खनिज का परिवहन किया जाना है)

5. (एक) खनिज प्राप्तकर्ता का नाम एवं : ....
   (दो) पता : ....
   (तीन) रेलवे साइडिंग का नाम जहां : ....
   खनिज उतारा जाना है ....
   (चार) प्रयोजन (निजी सयंत्र / प्रोसेसिंग: ....
   सयंत्र / अनुज्ञप्ति स्थल / अन्य)
   (पांच) गंतव्य स्थल का पूर्ण विवरण : ....
   (छ:) परिवहन मार्ग व्हाया : (1).......... (2)..........
   (एक से अधिक मार्ग होने की स्थिति में : ....
   जिस मार्ग से परिवहन किया जाना है, उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाये।)

6. स्थानीय अभिवहन पास की अपेक्षित सख्या : ....

7. अन्य विवरण : ....

हस्ताक्षर..........
नाम..........
पदनाम..........
(कंपनी / फर्म के मामले में सील)"

14. प्ररूप–12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"प्ररूप– 12

[नियम 4 (6) (3) देखिये]

रेलवे साइडिंग से खनिज परिवहन हेतु जारी स्थानीय अभिवहन पास हेतु पंजी संधारित करने के लिये प्रारूप

स. क्र.	दिनांक	खनिज के स्वामी का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर	रेलवे साइडिंग का नाम (जहां से खनिज का परिवहन किया जाना है)	खनिज का नाम	खानिज की मात्रा	रेल प्राप्तियों (रेलवे रिसीप्ट) का विवरण	रेलवे साइडिंग का नाम एवं पूर्ण पता (जहां पर खनिज का परिवहन किया जाना है)	प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	जारी अभिवहन बुक का सरल क्रमांक एवं संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

15. प्ररूप–13 के सरल क्रमांक 5 में, शब्द "आर. आर. का विवरण" के स्थान पर, शब्द "आवेदन का विवरण" प्रतिस्थापित किया जाये।

16. प्ररूप–14 के सरल क्रमांक 3 में, शब्द "परिवहन किया गया" के पश्चात्, शब्द "तथा रेल प्राप्तियों (रेलवे रिसीप्ट) का विवरण" जोड़ा जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक एफ 7–9/2003/12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18–0–2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 18 March 2015

NOTIFICATION

No. F 7-9/2003/XII .— In exercise of the powers conferred by Section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, namely;-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After clause (e) of sub-rule (1) of Rule 2, the following shall be inserted, namely:-

"(e-1) "End use plant" means the plant where the mineral shall be used finally."

2. For sub-rule (5) of Rule 4, the following shall be substituted, namely:-

"(5) (i) Mines of each such metallic ore, in which royalty on mineral (Ad valorem basis) is fixed on the basis of metal content of ore and benchmarks prices, the lessee shall conduct sampling as per the criteria fixed by the Bureau of Indian Standards prior to dispatch of the mineral produced.

(ii) Mining lease holder shall establish a laboratory as per the standard of Bureau of Indian Standards for analysis of these samples within mining lease area and carrying out chemical analysis of the samples. In special circumstances, the laboratory may be established outside the mining lease area after obtaining exemption from the Director.

(iii) The mining lease holder shall also submit monthly and yearly returns in the prescribed format as per rule 45 (as amended) of Mineral Conservation and Development Rules, 1988, timely to the Director and the concerned Collector of the District in addition to the specified Departments/Institutions.

(iv) All the mining leases of metallic ores operating in the State, in which there is a provision of royalty to be charged on the basis of metal content in mineral ore and benchmark prices, information about grade (metal content) of the ore shall be collected after conducting sampling and its analysis from the committee constituted by the Director atleast once in a year.

(v) If for any special reason, the Mining Lease holder is facing difficulty in conducting sampling of the mineral ores to be extracted from leased area, then

he shall have to submit an application to the Director stating reason and justification for the same. Director, if satisfied with the reason stated by the Mining Lease holder then he may grant permission for extraction without sampling of minerals from the mining lease area with condition that Mining Lease holder shall pay the royalty to the Government at prevailing rates for the time being, on the basis of the grade (metal content) of the mineral ore mentioned in approved mining plan submitted by the mining lease holder or obtained from previous sampling conducted by the Directorate, whichever is higher:

Provided that, in case of iron ore, the leasee may be granted any such an exemption on condition of payment of royalty specified for highest grade slab for the State of Chhattisgarh."

3. For clause (II), (III) and (IV) of sub-rule (6) of Rule 4, the following shall be substituted, namely:-

"(II) Such person/firm/company, who wants to transport the minerals, brought by rail route, from railway sidings to any end use plant or licensed processing plant / storage site, then they shall have to submit an application in prescribed Form-11 along with the required information, to the Officer-In-Charge of the mining section of the concerned district.

(III) Details of the Information received by the District Mining Office under Form-11 shall be maintained in the register in accordance with Form-12. Subsequently, Local Transit Pass shall be issued in Form 13 for transportation of equivalent quantity as per quantity of minerals mentioned in the application submitted by the applicant.

(IV) The applicant shall submit the details of used and remaining local transit pass alongwith the Railway receipt in Form- 14. The Officer-in-charge, District Mining Office, on tallying the quantity of Local Transit Pass issued previously in Form-13 with the submitted R.R. at the time of disposal of subsequent application for the Local Transit Pass, which if found correct, shall issue New Local Transit Pass after considering new application."

4. In rule 11, after the words "No interest will be liable for security deposit", the words "if any deposit made under the above-mentioned sub-rule has not been forfeited under any rules, then it shall be returned to non-applicant after ensuring overall compliance of all the conditions" shall be inserted.

5. In rule 12, for the word "three", the word "ten" shall be substituted.

6. After clause (ii) of Rule 14, the following shall be inserted, namely:-

"(ii-a) The Licensee is required to send in Form-15 the monthly returns related to the storage and processing to the District Mining Office by 5th day of next month."

7. Sub-rule (1) of Rule 16 shall stand omitted.

8. For sub-rule (5) of Rule 16, the following shall be substituted, namely:-

"Permission for the storage of coal mineral shall not be granted within a radius of 25 kilometre from boundary of the coal mining lease area. The said restriction shall not be applicable in case of washery and end use plant."

9. After Chapter-IV, the following shall be inserted, namely:-

"Chapter-IV A

APPEAL AND REVISION

17A. **Appeal or revision.-** Notwithstanding anything contained in these rules, appeal or revision against every order passed in respect of any subject under these rules shall be made in accordance with the provisions of Chapter-XIV of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996 (as amended)."

10. For Form-1, the following shall be substituted, namely:-

"Form-1

[See rule 4(1)]

MINERAL TRANSIT PASS

(**for mineral concession holders**)

Book No...................................... Pass No.......................................

Note: Before filling the form read carefully the remarks printed behind.

1. License / lessee's Name : ....
License / Mining Area Details : ....
Village/Tehsil/District : ....
Area : ....(hectare)
Period : ..../........../......... to ..../........../..........
Name of the mineral : ....

2. Category of the mineral being transported : ....
Size (Lump/Fines/Steam/slack/Other) : ....

3. Quantity of the mineral being transported : ....(Ton/cubic meter)
Gross weight of the vehicle (in ton) : ....
Tier weight of the vehicle (in ton) : ....

4. Sale value of the mineral : ....(Rs. per ton/cubic meter)

5. Date of dispatched of the mineral : ....
Time of the mineral dispatched (A.M/P.M) : ....

6. Vehicle registration number : ....
Type of vehicle (Trailer/Haiwa/Truck/ Tractor/Other) : ....

7. Name of the Owner of the vehicle : ....
Name of the driver of the vehicle : ....

8. Mineral purchaser/recipient's name : ....
D.O. Number/Date (if applicable) : ....

9. Mineral destination : ....via
1 ....2................3............

10. Other details : ....

Name and Signature of the person issuing the transit pass with date	**Name and Signature of the Vehicle driver with date**	**Name and Signature of the checking staff with date**

Remarks:

1. All entries must be filled up with ball point pen without any overwriting and must be clearly readable.
2. For the second copy, carbon paper should be used on both the sides of the transit pass.
3. After the necessary entries as mentioned above, duplicate copy shall be handed over to the driver of the vehicle and original copy shall be retained in the transit passbook.
4. In relation to via under clause 9, mention the name of three major places present between the defined routes from the mine to the destination.
5. Violation of any of the above directions shall be construed as illegal mineral transportation and shall be punishable."

11. Form-2(A) shall stand omitted.

12. Form-2(B) shall stand omitted.

13. For Form-11, the following shall be substituted, namely:-

"Form-11

[See rule 4(6) (2)]

APPLICATION FOR OBTAINING LOCAL TRANSIT PASS FOR TRANSPORTATION OF MINERALS FROM RAILWAY SIDINGS

1. (i) Name of the applicant : ....
   Designation (in case of Company or Firm) : ....
   (ii) Mobile Number : ....

2. Name of the mineral : ....

3. Quantity of the mineral to be brought
   by way of Railway transportation : .... (cubic meter/ton)

4. Name of the Railway siding : ....
(from where the mineral is to be transported)

5. (i) Name of the recipient of the mineral and : ....
(ii) Address : ....
(iii) Name of the Railway siding, where
the mineral is to be unloaded : ....
(iv) Purpose (private plant/processing
plant/licensed place/other) : ....
(v) Complete address of the destination : ....
(vi) Transportation route via : (1)..................... (2) ....
(In case of more than one route, the
route which is to be used for transport
must be clearly mentioned) : ....

6. Required number of local transit pass : ....

7. Other details : ....

Signature..
Name...
Designation..
(Seal in case of company or firm)"

14. For Form-12, the following shall be substituted, namely:-

"Form-12
[See rule 4(6) (3)]

PROFORMA FOR MAINTAINING REGISTER OF THE LOCAL TRANSIT PASS ISSUED FOR TRANSPORTING MINERALS FROM RAILWAY SIDING

S. No.	Date	Name, address and mobile number of Owner of the mineral	Name of the Railway siding (from where the mineral is to be trans-ported)	Name of the mineral	Quantity of the mineral	Details of Railway receipt	Name and complete address of the Railway siding (where the mineral is to be transported)	Name and address of the recipient	Serial number and number of transit book issued	Other details
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**

15. In serial No. 5 of Form-13, for the words "Details of R.R.", the word "Details of application" shall be substituted.

16. In serial No. 3 of Form-14, after the words "is to be transported", the words "and details of Railway Receipt" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.